



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1939 (श0)
(सं० पटना 552) पटना, वृहस्पतिवार, 29 जून 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
29 जून 2017

अधिसूचना संख्या 9/2017-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 81, दिनांक 29 जून 2017—बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त अधिनियम” कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है परिषद् की सिफारिशों पर, किसी कटौतीकर्ता द्वारा, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के अधीन राज्यान्तर्गत माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर किसी आपूर्तिकर्ता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर से, इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट प्रदान करते हैं कि कटौतीकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 24 के उपखंड (vi) के अधीन से अन्यथा रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रभावी होगी।

[(सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-9)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

29 जून 2017

एस०ओ०, 82 एस० ओ० 81, दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-9)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 29th June 2017

Notification No. 9/2017-State Tax (Rate)

S.O. 81, dated the 29th June 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017) (hereinafter referred to as “the said Act”), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods or services or both received by a deductor under section 51 of the said Act, from any supplier, who is not registered, from the whole of the State tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the said Act, subject to the condition that the deductor is not liable to be registered otherwise than under sub-clause (vi) of section 24 of the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-13/2017-9)]

By the order of Governor of Bihar,

Sujata Chaturvedi,

*Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 552-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>